

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक 91/1431/

जबलपुर, दिनांक 31/10/2025

श्री दीपेश अखण्ड, जूनियर जूडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को दिनांक 24.09.2025 से 27.09.2025 तक 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक 91/1432/

जबलपुर, दिनांक 31/10/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/प्रशासन/अवकाश/2459 इंदौर दिनांक 06.09.2025 के संदर्भ में श्री दीपेश अखण्ड, जूनियर जूडिशियल ट्रांसलेटर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर का निर्धारित प्रपत्र को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।
2. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित,
3. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)